

**ग्राम पंचायत कथियारी विकास खण्ड सदर मंडी जिला मंडी के लेखाओं
का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.14 से 31.03.17**

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कथियारी, विकास खण्ड सदर जिला मंडी के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति उर्मिला देवी	01.04.14 से 22.01.16
2	श्री लाल चन्द	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री रूम सिंह	01.04.14 से 19.12.16
2	श्री नारायण	20.12.16 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत कथियारी, विकास खण्ड सदर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्तर्शेष में अन्तर	0.05
2	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.42
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	20.53
4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	2.43
5	8	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	1.16
6	9	JCB मशीन के किराए के रूप में अधिक भुगतान	0.13

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत कथियारी, विकास खण्ड सदर जिला मंडी के अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी तथा श्री सन्तोष कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक दिनांक 27.11.17 से 11.12.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	03/15	06/14
2015-16	02/16	05/15
2016-17	03/17	12/16

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत कथियारी विकास खण्ड मंडी, जिला मंडी के अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹5600 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि.प्र.) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 02 दिनांक 11.12.17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत कार्यकारी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत कथियारी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्रोत :- ग्राम पंचायत कथियारी, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	207102.95	25935	233037.95	16442	216595.95
2015-16	216595.95	128915	345510.95	30287	315223.95
2016-17	315223.95	81245	396468.95	17104	379364.95

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत कथियारी, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
------	-------	----------	-----	------	------------

2014-15	264407	3223882	3488289	3131651	356638
2015-16	356638	4162777	4519415	3348803	1170612
2016-17	1170612	7139630	8310242	6256828	2053414

स्व स्रोत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹379364.95

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹2053414

स्व स्रोत एवं अनुदान की रोकड़ वहियों में

दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष : ₹2432778.95

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹2437936.71

(सलग्न विवरण परिशिष्ट- II)

दिनांक 31.3.17 को विभिन्न बैंक खाते में जमा राशि का विवरण

बैंक खाता संख्या	राशि
3013	1585576.71
8348	139534
8345	30197
3827	0
8436	1564
8349	214643
8350	21181
8346	328761
8347	116480
3826	0
कुल योग	2437936.71
कुल राशि	₹2437936.71

दिनांक 31.3.17 को रोकड़ वही व बैंक खातों में जमा राशि में अन्तर=2437936.71-2432778.95=₹5157.76

4.1 रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना परिणामस्वरूप दिनांक 31.3.17 को अन्तःशेष में ₹0.05 लाख का अन्तर :-

ग्राम पंचायत कथियारी की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था, जिसके कारण दिनांक 31.3.17 को रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्तःशेष में 5157.76 (2437936.71-2432778.95) का अन्तर था जिसका अतिशीघ्र मिलान किया जाए अन्तर का विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में दिया गया है तथा भविष्य में

नियमानुसार रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 पंचायत राजस्व ₹0.42 लाख की वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.17 को गृह कर के रूप में ₹42350 वसूली हेतु शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें। (परिशिष्ट-III में गृहकर राशि का ब्यौरा दिया गया है)

6 अनुदान ₹20.53 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹2053414 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.43 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-4** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत ₹243231 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 ₹1.16 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-5** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹116900/- की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

9 JCB मशीन के किराए के रूप में पर ₹0.13 लाख का अधिक भुगतान :-

चयनित मासों के व्यय वाउचर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या 05 माह 5/15 द्वारा ₹25600 का भुगतान श्री बलदेव ठाकुर को किराए पर ली गई JCB मशीन के लिए किया गया ठेकेदार द्वारा इस कार्य के लिए ₹900 प्रति घंटा की दर से भाव दर दी गई थी परन्तु उक्त ठेकेदार को 14 घंटे की JCB सेवा का किराया ₹1800 प्रति घंटे की दर से कुल ₹25600 दिया गया जिसके कारण ₹13000 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी बसूली उचित स्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाये तदनुसार की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना।
6. खाता बहियाँ तैयार न करना।

11 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 लघु आपत्ति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

13 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता /—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(xi) 48 / 2018 खण्ड-1-3077-3080 दिनांक 07.05.2018
शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी हि0प्र0
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी हि0प्र0
- पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत कथियारी, विकास खण्ड सदर जिला मण्डी (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881